



2026:AHC:128836:DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**जनहित याचिका संख्या-1495/2026**

शरीफ अहमद एवं अन्य

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: श्री सैयद इकबाल अहमद, अधिवक्ता के ब्रीफ होल्डर

श्री आज़ाद खान, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: श्री गिरिजेश कुमार त्रिपाठी, राज्य की ओर से

अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता

**सुरक्षित**

**न्यायालय संख्या-64**

**माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर**

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार**

**(निर्णय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर द्वारा उद्घोषित)**

1. यह रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि प्रतिवादीगण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि याचीगण सहित समुदाय के अन्य सदस्यों का दिनांक 26/27.06.2026 को पड़ने वाले मोहर्रम के अवसर पर आलम/ताज़िया जुलूस निकालने का प्रथागत अधिकार बिना किसी बाधा के पूरा किया जाए और प्राधिकारीगण उक्त प्रयोजन हेतु अस्थायी अनुमति प्रदान करें।

2. याचीगण का कहना है कि वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जनहित के कारण की पैरवी कर रहे हैं। कहा गया है कि वर्ष 1952-2022 से आलम/ताज़िया जुलूस का मार्ग तथा मोहर्रम के दसवें दिन उसके दफनाने का मार्ग हज़रतनगर गढ़ी से रेलवे क्रासिंग LC/8C तथा LC/9C तक रहा है। वर्ष 2022 में एक दुर्घटना हुई और अब रेलवे द्वारा दोनों ओर स्थायी दीवार का निर्माण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



करके क्रासिंग पर उक्त मार्ग को बंद कर दिया गया है। इस संबंध में रेलवे के एक इंजीनियर द्वारा जिलाधिकारी, संभल को एक पत्र जारी किया गया बताया जाता है। यह इंगित किया गया है कि खसरा एवं खतौनी के अनुसार करबला, अर्थात वह स्थान जहां ताज़िया दफनाया जाता है, ग्राम सिरसी के गाटा संख्या 1650/1 में स्थित है।

3. रेलवे द्वारा पुराना मार्ग बंद किए जाने के बाद, ग्रामवासियों ने अधिकारियों को उक्त मार्ग पर जुलूस की अनुमति देने हेतु आवेदन किया, क्योंकि सिरसी-बिलारी मार्ग से होकर एक गांव से गुजरने वाला नया मार्ग मोहर्रम के दसवें दिन 3-4 घंटे की यात्रा का समय लेता है। पुराने मार्ग तथा प्रस्तावित नए मार्ग का एक रेखाचित्र रिट याचिका के साथ संलग्न किया गया है।

4. वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक, याचीगण, समस्त ग्रामवासियों सहित, प्रत्येक वर्ष पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन करते रहे हैं, जिसमें आलम/ताज़िया को करबला ले जाते समय सिरसी-बिलारी मार्ग से हटने की अनुमति मांगी गई, जाहिर तौर पर पुराने मार्ग की बहाली चाहते हुए। ग्रामवासियों द्वारा जुलूस के मार्ग के प्रकरण में जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई थी। तहसील अधिकारियों ने लेखपाल, सिरसी द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 23.04.2025 तथा 06.06.2025 के आवेदनों पर जानकारी दी है, जो कोई भिन्न मार्ग दर्शाती है, जो स्पष्ट नहीं है।

5. याचीगण ने दिनांक 17.05.2026 को तथा पुनः दिनांक 25.05.2026 को, दोनों बार पंजीकृत डाक के माध्यम से, प्रतिवादीगण को जुलूस के मार्ग हेतु अनुमति मांगते हुए आवेदन किया, जो भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न करे। इस पर बल दिया गया है कि इस वर्ष मोहर्रम दिनांक 18.06.2026 को प्रारंभ हुआ है और दसवां दिन 26/27.06.2026 को पड़ेगा, जब जुलूस को आलम तथा ताज़िया करबला ले जाना आवश्यक होगा। इस पर बल दिया गया है कि प्रस्तावित मार्ग पर अनुमति इस बदली हुई परिस्थिति के कारण आवश्यक है कि रेलवे ने परंपरागत रूप से प्रयुक्त मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है तथा सिरसी-बिलारी मार्ग से होकर सरकारी करबला तक जाने वाला नया मार्ग जुलूस के तय करने हेतु असुविधाजनक रूप से लंबा समय लेता है। याचीगण का कहना है कि ताज़िया जुलूस निकालने हेतु रीति-रिवाज तथा प्रथाएं, आलमदार/ताज़ियादार की देखरेख में ग्रामवासियों तथा व्यापक मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष मोहर्रम के दसवें दिन निभाई जाती हैं। उन्हें प्रथाओं के अनुसार इस धार्मिक प्रथा को निभाने का अधिकार है। राज्य प्राधिकारी याचीगण द्वारा मांगे गए नए मार्ग पर, रेखाचित्र

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



योजना के अनुसार, अनुमति प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। एक बार जब रेलवे ने दुर्घटना के कारण परंपरागत मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, तो मोहर्रम के दसवें दिन जुलूस निकालने हेतु अधिकारियों द्वारा एक नया मार्ग स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। प्राधिकारीगण याचीगण के आवेदनों पर, जो पहले से उनके समक्ष लंबित हैं, उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं। अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता है तथा ताज़िया जुलूस हेतु उपयुक्त मार्ग की अनुमति देने में अनिच्छा है।

6. दिनांक 22.06.2026 के आदेश के माध्यम से, हमने विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया तथा इस तथ्य को दर्ज किया, जैसा कि विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने अपने पास उपलब्ध निर्देशों के आधार पर कहा, कि पक्षकारों के बीच समझौते द्वारा पहले से एक वैकल्पिक मार्ग तय है। हमने इस तथ्य को भी नोट किया कि उस समझौते की एक प्रति, जिस भी रूप में दर्ज हो, प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण को 23 जून, 2026 को लिया जाना निर्देशित किया गया। दिनांक 23.06.2026 को, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री गिरिजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, संभल द्वारा हस्ताक्षरित लिखित निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।

7. हमें अपेक्षा थी कि जिलाधिकारी, संभल इन निर्देशों को स्वयं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करते, बजाय इसके कि उप जिलाधिकारी, संभल के लिंक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे नगर मजिस्ट्रेट से दिनांक 10.06.2026 के लिखित निर्देशों पर हस्ताक्षर करवाए जाएं। जिलाधिकारी को यह भली-भांति स्मरण रखना चाहिए कि वे राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष हैं और जब इस न्यायालय द्वारा बुलाया जाए तो वे अपने कर्तव्यों को इधर-उधर के अधिकारियों को सौंप नहीं सकते। हमारा विचार है कि प्रतिवादी के पक्ष का सबसे अच्छा कथन उप जिलाधिकारी, संभल के लिंक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे नगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत निर्देशों को दर्ज करना होगा:

सादर अवगत कराना है कि थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद सम्भल के ग्राम हजरतनगर गढ़ी में हिन्दू व मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग समान है जो 15000 के करीब है। थाना हाजा के त्योहार रजिस्टर के अनुसार मुस्लिम समुदाय द्वारा मोहर्रम के त्योहार पर चाँद की 7वीं तारीख को मेंहदी का जुलूस नूरी मस्जिद के पीछे बड़ा इमामबाड़ा से शुरू होकर अबरार पुत्र मजीद के मकान से दाहिने मुड़कर मदरसा चौक पर अब्दुल सलाम वाले इमामबाड़े पर पहुँचता है। वहां से ओर एक मेंहदी उठकर अबरार पुत्र मजीद की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वावत मेंहदी से बाये मुडकर सीधी गली से मुशाहिद अली पुत्र अलीजान के मकान के सामने से होकर बाजार वाले इमामबाडे पर पहुँचता है वहाँ से भी एक मेंहदी उठकर तीनों मेंहदी जुलूस के रूप में सीधे हकीम बाजिद के मकान के सामने से होकर बाजार में लाला रामौतार गुप्ता के घर के पास कुछ समय रुककर बायें मुडकर अरून कुमार गुप्ता के मकान के सामने से बायें मुडकर महल के पीछे से होकर गल्ली पण्डितजी के मकान से बायें मुडकर नूरी मस्जिद के सामने से सीधा अब्दुल सलाम वाले इमामबाडे पर पहुँचता है वहाँ पर एक मेंहदी रुक जाती है वहाँ से एक मेंहदी और मिलकर नूरी मस्जिद वाले बाजार वाले इमामबाडे पर पहुँचती है व चाँद की 8वीं तारीख को उपरोक्त रास्ते से ही अलम का जुलूस निकाला जाता है। चाँद की 9वीं तारीख को ताजियो को गाँव के तीनों इमामबाडो पर रखकर फातिया पढा जाता है व चाँद की 10वीं तारीख को तीनों इमामबाडो से ताजिये व दो जरी उठकर बाजार वाले इमामबाडे पर पहुँचते थे। पूर्व में वहाँ से तीनों ताजिये जुलूस के रूप में हाकम अली पुत्र फकीरी के मकान से होते हुए सरकारी ट्यूबवैल के सामने से आगे करीब 200 मीटर रेलवे लाईन पार करते हुए बिलारी सिरसी मार्ग पर पहुँचकर वहाँ से कस्बा सिरसी करबला में पहुँचते थे।

वर्ष 2022 में मुरादाबाद सम्भल रेलवे लाईन का विद्युतीकरण किया गया जिस कारण बिजलीघर के सामने रेलवे लाईन से गुजरने वाला अस्थायी रास्ता सुरक्षा कारणों से बन्द कर दिया गया था, किन्तु उसके बाबजूद ताजियेदारो द्वारा उक्त अस्थायी रास्ते से ही ताजिये निकालने का प्रयास किया था और रेलवे लाईन पर ही गांव में बनी दूसरी रेलवे क्रासिंग पर वर्ष 2023 में ग्राम हजरतनगर गढी में रेलवे लाईन / क्रासिंग पर अलम रेलवे विद्युत लाईन से टकराने के कारण बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 04 अलमदार व्यक्ति झुलस गये थे। उक्त घटना के बाद ग्राम के दोनो समुदायो द्वारा आपस में एक लिखित समझौतानामा मोहरम त्योहार के संबंध हुआ था जिसे त्योहार रजिस्टर में भी चस्पा किया गया है। समझौता नामा निम्नप्रकार है, दिनांक 28.07.2023 को हम सभी हजरतनगर गढी क्षेत्रवासियो ने मोहरम / अलम / जरी के जुलूस के आयोजन को लेकर सर्व सम्मति से यह फैसला किया है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 03 मोहरम, जरी व अलम का जुलूस निकाला जायेगा जो निम्नलिखित संशोधनो के अधीन होगा।



1. रेलवे लाईन के उत्तर दिशा से आने वाले अलम व जरी को जमीन के समानान्तर हाथो में पकडकर रेलवे क्रासिंग पास करेंगे तथा मनहारो वाले इमामबाडे पर जाकर मुख्य जुलूस में शामिल होंगे।
2. कस्बा हजरतनगर गढी में तीन मोहर्रम के अतिरिक्त न कोई मोहर्रम बनाया जायेगा और न ही निकाला जायेगा न ही जुसूस का हिस्सा होगा।
3. जुलूस अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए सरकारी ट्यूबवैल तक पहुंचेगा तथा वहीं रुककर जुलूस की रस्म अदा करने के उपरान्त अलमो को खोलकर बास कपडा आदि सामान अपने हाथो में लेकर वापस अपने घरों को आयेंगे।
4. वापस आते समय रेलवे क्रासिंग को बाँस आदि को जमीन के समानान्तर रखते हुए रेलवे क्रासिंग को पार कर अपने अपने घरों को चले जायेंगे।
5. जुलूस में शामिल मोहर्रम / ताजिया सरकारी ट्यूबवैल से ही पूर्व की भांति वापस लाकर अपने अपने इमामबाडे में रख दिये जायेंगे।
6. जुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी ट्यूबवैल के पास स्थित रेलवे ट्रैक को पार नहीं किया जायेगा।
7. जुलूस में जो भी मोहर्रम / ताजिया / अलम शामिल होगा वह प्रशासन द्वारा निर्धारित ऊंचाई एवं मानके के अनुरूप होगा।
8. हम सभी क्षेत्रवासी मोहर्रम के जुलूस की यह व्यवस्था तब तक अपनायेंगे जब तक हमारे पास करबला की जमीन नहीं है जैसे ही हमारे पास व्यवस्था हो जायेगी हम लोग सर्व सम्मति से अपने निर्णय को प्रसाशनिक अधिकारियों को अवगत करा देंगे।
9. थाने के सामने रखी जा रही जरी को लगभग 09.00 बजे तक मुख्य ताजिये मोहर्रम पर अर्पित कर शामिल कर देंगे।
10. रेलवे लाईन के उत्तर दिशा से आने वाले अलमो को रामगढी में दक्षिण दिशा में ले जाते समय रेलवे क्रासिंग/पटरी पर प्लास्टिक की पन्नी पटरी के ऊपर बिछा कर जुलूस को निकालेंगे। हम सभी उपरोक्त समझौतेनामे पर सहमत हैं। उक्त समझौते नामे पर ग्राम हजरतनगर गढी के हिन्दु व मुस्लिम दोनों समुदायो के व्यक्तियों के हस्ताक्षर बने हैं।



याची श्री शरीफ अहमद पुत्र अजीमुल्ला निवासी ग्राम हजरतनगर गढी थाना हजरतनगर गढी जिला सम्भल ने कुछ साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त ताजिये के जुलूस को ग्राम हजरतनगर गढी से पूर्व में हुए समझौतेनामे व परंपरा से अलग हटकर जुलूस को ग्राम हजरतनगर गढी से सिरसी बिलारी मुख्य मार्ग से होते हुए कस्बा सिरसी करबला ले जाना चाहते हैं जिसका गांव के अन्य समुदायो द्वारा यह कहते हुए विरोध किया जाता है कि यहाँ से इनका परंपरागत रास्ता नहीं है और यह नई परंपरा डालना चाहते हैं जिस कारण हम इनका विरोध करते हैं।

याची श्री शरीफ अहमद पुत्र अजीमुल्ला निवासी ग्राम हजरतनगर गढी थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल आदि ताजियेदार व अलमदार को बिलारी सिरसी मुख्य मार्ग से सिरसी करबला जाने हेतु इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि यह नई परंपरा है और इसका दूसरे समुदाय के द्वारा विरोध किया जाता है व परंपरागत ताजियेदारो / अलमदारो को पूर्व में हुए समझौते एवं परंपरा के अनुसार ग्राम हजरतनगर गढी में बड़े इमामबाड़े व बाजार से होते हुए सरकारी ट्यूववैल के पास जुलूस को समाप्त किये जाने संबंधी कोई आपत्ति थाना हाजा को नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग पारम्परिक मुख्य मार्ग है जिससे बड़े वाहन आसानी से आते जाते हैं जिससे ताजिया/अलम निकालने में कोई समस्या नहीं है।

अनुदेश आख्या सादर प्रेषित है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत जुलूस मार्गों के रेखाचित्रों सहित अभिलेख पर उपलब्ध पक्ष तथा सामग्री का अवलोकन करने पर, हमारी राय है कि पुराना जुलूस मार्ग, जो रेलवे लाइन को पार करके खसरा संख्या 1650 में स्थित करबला तक जाता था, जैसा कि रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 27 पर दिए गए रेखाचित्र से दर्शित होता है, वर्ष 2022 से रेलवे क्रॉसिंग से आगे उपलब्ध नहीं रहा। यह रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण तथा वर्ष 2022 में मोहर्रम जुलूस के कुछ सदस्यों से जुड़ी एक घातक दुर्घटना के कारण हुआ, जो उच्च वोल्टेज बिजली के संपर्क में आ गए थे। इसके बाद रेलवे ने दोनों ओर दीवारें खड़ी करके मार्ग को बंद कर दिया। याचीगण चाहते हैं कि मोहर्रम जुलूस हेतु एक नया मार्ग, जो रेखाचित्र में दर्शाया गया है, जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया जाए, जो उन्हें करबला तक पहुंचने में सक्षम बनाए।



9. दूसरी ओर, प्रशासन का पक्ष यह है कि दिनांक 28.07.2022 का पक्षकारों के बीच पहले से एक समझौता है, जिसमें नगर के मुस्लिम समुदाय के सदस्य पक्षकार हैं। यह समझौता प्रशासन द्वारा अनुरक्षित त्योहार रजिस्टर पर चस्पा किया गया है। समझौते की शर्तें दर्शाती हैं कि जुलूस अपने प्रथागत मार्ग से आगे बढ़ेगा तथा सरकारी ट्यूबवैल तक पहुंचेगा। वे वहां रुककर आवश्यक रस्में अदा करेंगे। आलम को वहीं खोला जाएगा तथा उसके हिस्सों को जुलूस के सदस्यों या उनकी ओर से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा हाथ में लेकर वापस लाया जाएगा।

10. जहां तक याचीगण द्वारा मांगे गए करबला तक पहुंचने हेतु नए मार्ग की अनुमति का प्रश्न है, प्रतिवादीगण का पक्ष यह है कि सिरसी-बिलारी मुख्य मार्ग पर जुलूस ले जाने का अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों द्वारा यह कहते हुए विरोध किया गया है कि यह मोहर्रम जुलूस के लिए प्रथागत मार्ग नहीं है तथा वे एक नई परंपरा की स्थापना का विरोध करते हैं। उनका पक्ष यह है कि यदि ताज़िया/आलम जुलूस को सिरसी-बिलारी मुख्य मार्ग से करबला पहुंचने की अनुमति दी जाती है, तो पहला, यह याचीगण सहित उपर्युक्त जिला प्रशासन के बीच हुए समझौते के विरुद्ध होगा, तथा दूसरा, अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों द्वारा इसका विरोध है।

11. यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जहां संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 के माध्यम से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार गारंटीकृत है, वहीं इस अधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से विधि व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा जनसंख्या के अन्य वर्गों की आवश्यकताओं के बड़े हित के अधीन है, जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, यदि किसी विशेष तरीके से अधिकार के प्रयोग पर बल दिया जाए और उसकी अनुमति दी जाए। अपने धर्म का पालन करने का अधिकार एक बात है तथा उसका किसी विशेष तरीके से पालन करना अलग बात है। ऐसे जुलूसों हेतु मार्गों का निर्धारण, जिनमें बहुत से लोग शामिल होते हैं, अनिवार्य रूप से विधि व्यवस्था से संबंधित प्रकरण है, जिसके लिए सिविल तथा पुलिस प्रशासन उत्तरदायी हैं। यदि स्थिति के भौतिक तथा भौगोलिक आकलन तथा अन्य समुदायों के सदस्यों की राय के आधार पर, प्रतिवादीगण ने यह निर्णय लिया है कि याचीगण द्वारा प्रस्तावित नए मार्ग को ताज़िया जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती, तो याचीगण में उनके द्वारा प्रस्तावित विशेष मार्ग से जुलूस निकालने का कोई अधिकार निहित नहीं है। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहां याचीगण को जुलूस बिल्कुल न निकालने के लिए कहा गया हो। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहां धर्म का पालन करने के अधिकार या उसके किसी विशेष हिस्से को प्रतिबंधित किया गया हो। जो अस्वीकार

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



किया गया है वह ताज़िया जुलूस निकालने हेतु एक विशेष मार्ग का उपयोग है, और फलस्वरूप, एक विशेष मार्ग का उपयोग करके धार्मिक रस्मों का पालन। अपने धर्म के पालन का कोई मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, जो उन्हें या समुदाय को धार्मिक रस्में निभाने हेतु किसी विशेष सड़क का उपयोग करने का अधिकारी बना सके। ऐसे प्रकरण में, जहां सिविल या पुलिस प्रशासन या सरकार की राय में, इसे अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों द्वारा आपत्ति की जाएगी तथा सामाजिक तनाव पैदा होगा; संभवतः, विधि व्यवस्था या लोक व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है।

12. हमारी सुविचारित राय में, अतः, याचीगण को प्रतिवादीगण को दिनांक 26/27.06.2026 को पुराने प्रथागत मार्ग को छोड़कर, उनके द्वारा प्रस्तावित नए मार्ग पर ताज़िया जुलूस निकालने की अनुमति देने हेतु बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है। वे दिनांक 28.07.2023 के समझौते की शर्तों से बाध्य हैं, जो प्रतिवादीगण द्वारा अनुरक्षित त्योहार रजिस्टर पर उपलब्ध है।

13. हमें याचिका में कोई गुण-दोष नहीं मिलता। तदनुसार, यह निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

इलाहाबाद

24 जून, 2026

आई. बटाव्याल

क्या आदेश तर्कसंगत (स्पीकिंग) है: हां

क्या आदेश रिपोर्ट योग्य है: नहीं